झारखण्ड सरकार

भारत के संविधान के
अनुच्छेद 176 (I) के अन्तर्गत द्वितीय
झारखण्ड विधान सभा के प्रथम अधिवेशन में
झारखण्ड के महामहिम राज्यपाल

श्री सैय्यद सिब्ते रजी

का

अभिभाषण

राँची
24 मार्च, 2005

झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

द्वितीय झारखण्ड विधान सभा के प्रथम सत्र में आप सभी को सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष एवं गर्व हो रहा है। यह प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में राज्य में द्वितीय विधान सभा के चुनाव अत्यन्त शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। मैं नवनिर्वाचित माननीय विधायकों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे झारखण्ड के चहुँमुखी विकास से सम्बन्धित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ, साथ ही माननीय सदस्यों और झारखण्ड के निवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

2. लोकतंत्र का यह मूलमंत्र है कि लोगों के वर्तमान एवं भविष्य का निर्धारण उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हो। झारखण्ड की महान जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से अपने विवेक का प्रयोग कर प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। राज्य में नयी सरकार का गठन प्रदेश को सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने तथा राजनीतिक स्थिरता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी और ऐसा वातावरण सृजित करने में सफलता प्राप्त करेगी जो प्रदेश में विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि समाज का हर वर्ग राज्य की विकास की प्रक्रिया से समान रूप से जुड़े और हम सबकी सम्मिलित सृजनात्मक ऊर्जा इस राज्य के उत्थान के प्रति समर्पित हो। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार झारखण्ड राज्य की सम्पूर्ण जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए निष्पक्ष नीतियों पर चलेगी।

3. झारखण्ड राज्य के सृजन के पश्चात् द्वितीय झारखण्ड विधान सभा के लिए पहली बार राज्य में विधान सभा का चुनाव सम्पन्न हुआ। चुनाव में राज्य के मतदाताओं ने जिस उत्साह एवं उमंग के साथ अपने मत का प्रयोग किया वह सराहनीय है। इस बार के चुनाव में उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावी क्षेत्रों के मतदाताओं ने भी अपने मत का प्रयोग पूरे आत्मविश्वास के साथ कर यह साबित कर दिया कि इस प्रदेश में लोकतंत्र की बुनियाद काफी सुदृढ एवं परिपक्व है। तमाम आशंकाओं के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए मैं राज्य प्रशासन को हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका उत्साह वर्धन करता हूँ।

4. झारखण्ड विधान सभा के इस प्रथम आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सबसे बड़े समूह के रूप में उभर कर आया है। चुनाव पूर्व हुए इस गठबंधन की सरकार ने हाल ही में हुए शक्ति परीक्षण में सदन के भीतर अपना बहुमत सिद्ध किया है। इस दौरान कतिपय ऐसी घटनाएँ घटित हुईं जिससे यह साबित हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं और शासन के सभी अंग लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निष्पादित कर रहे हैं। यह घटनाक्रम लोकतांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत एक स्वस्थ परम्परा कायम करने में सहायक सिद्ध होगा, यह मेरा विश्वास है।

5. झारखण्ड राज्य की सरकार गठित करने के घटनाक्रम से विधायिका एवं न्यायपालिका की भूमिका पर एक स्वस्थ बहस आरम्भ हुई है। हालांकि भारतीय संविधान ने इन संस्थाओं की भूमिका तथा सीमा एवं मर्यादा का निर्धारण किया है, इसके बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय की सकारात्मक

पहल इस सन्दर्भ में मील का पत्थर साबित हुई है। एक जीवन्त लोकतंत्र में लोक पहल के लिए इस सन्दर्भ में देश के विधायी एवं न्यायिक इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में झारखण्ड का स्थान सुरक्षित हो गया है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की सीमा और मर्यादा के अनुरक्षण के लिहाज से यह पहल एक सन्दर्भ के रूप में याद की जायेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

6. झारखण्ड राज्य का सृजन, राज्य के जनता की चिर अभिलाषा एवं उत्कट आकांक्षा का प्रतिफल रहा है। राज्य सृजन की पृष्ठभूमि में झारखण्डवासियों ने जो सपना देखा था वह सपना था सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, गरीबी, भूखमरी एवं लाचारी से परे जनता के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐसे राज्य का निर्माण करना जो राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक परम्पराओं को अक्षुण्ण रखते हुए शांति एवं खुशहाली के साथ स्थायी समृद्धि एवं ऐश्वर्यता के नये क्षितिज को प्राप्त करे।

7. हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है राज्य में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त एवं विकासयुक्त, वातावरण का सृजन करना। सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके हितों का सर्वोपरि ध्यान रखा जायेगा, परन्तु समाज के ऐसे वर्ग जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का शिकार रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आते हैं, उनके हितों के प्राथमिकता पर ध्यान रखा जायेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समाज से सम्बन्धित सिख, मुस्लिम, इसाई, पारसी, बौद्ध चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, उनका पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा। समाज में किसी भी वर्ग के साथ

जाति या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। राज्य में जाति, धर्म एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के हितों का पूरा–पूरा ध्यान रखा जायेगा।

8. राज्य सृजन के पश्चात सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थिति करना था। सरकार द्वारा प्रारम्भ में ही राज्य के प्रशासनिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के साथ–साथ योजनाओं के सूत्रीकरण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कारगर कदम उठाये गये। सरकार ने विकास के सभी क्षेत्रों में अपने अल्पकालिक एवं दूरगामी लक्ष्य को तय कर विकास के नये आयाम को प्राप्त करने का सार्थक प्रयास किया और उसी का परिणाम रहा है कि राज्य सृजन के पश्चात अल्प समय में ही सभी क्षेत्रों में विकास की किरण तेजस्विता से प्रकीर्ण होती परिलक्षित हो रही है और इसी का यह प्रतिफल है कि जनता ने पुनः सरकार में अपना अटूट विश्वास विधान सभा चुनाव के माध्यम से दिखाया है।

9. झारखण्ड प्रदेश की जनता के जीवन को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा भगीरथ प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप ठहरी हुई विकास की रफ्तार को गतिमान किया जा सका है। हमारी सरकार का यह निश्चित मत है कि प्रदेश का विकास केवल सुरक्षा के वातावरण में ही सम्भव है। जब प्रदेश का हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करेगा तभी आर्थिक गतिविधियाँ आगे बढ़ेंगी, सामाजिक समरसता बढ़ेगी और प्रदेशवासियों की उत्पादक ऊर्जा अविरल प्रवाहित हो सकेगी। इस हेतु अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं उग्रवादियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा कसा

जायेगा हमारी सरकार का यह मत है कि अपराधियों की जगह जेल के सीखचों के पीछे है–उन्हें जनता को उत्पीड़ित करने या भयभीत नहीं करने दिया जायेगा।

10. अपराध समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं, परन्तु इनका ज्यादा प्रभाव उन वर्गों पर पड़ता है जो गरीब हैं और पहले से ही वंचित हैं। विकास एवं समता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश को अपराधमुक्त और भयमुक्त करना हमारा संकल्प है। हमारी सरकार असामाजिक तत्वों, माफियाओं तथा गुण्डा तत्वों के खिलाफ बिना किसी भेद–भाव के कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देती है।

11. हम यह मानते हैं कि विकास के रास्ते में उग्रवाद सबसे बड़ी चुनौती है। इस समस्या को जड़ से समाप्त करना होगा, तभी विकास की किरणों को प्रत्येक गाँव एवं घरों तक पहुँचाया जा सकेगा। हमें पूरा विश्वास है कि अगर विकास की गति को तेज कर दिया जाय और उसमें आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाय तथा समाज के पिछड़े एवं दलित वर्गों को उनका अपना न्यायपूर्ण हक पुनर्स्थापित कर दिया जाय तो उग्रवाद की समस्या का हल निकाला जा सकता है। विकास कार्यक्रमों के सही एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन से जन आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, लोगों के जीवनस्तर में सुधार आएगा और उग्रवाद की समस्या धीरे–धीरे समाप्त हो जायेगी।

12. राज्य में व्याप्त उग्रवाद की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा पुलिस बल को अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करने एवं तत्सम्बन्धी समस्या का सामना करने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से पुलिस

आधुनिकीकरण योजना के अधीन सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु दुरुह एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए झारखण्ड पुलिस के निमित्त स्वदेश निर्मित दो "ध्रुव" हेलिकॉप्टर का क्रय किया जा रहा है।

13. हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि समस्त प्रशासन तंत्र पूर्ण दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अधिकारियों के अन्दर यह भावना विकसित की जायेगी कि जनमानस के कल्याण तथा नियमों का पालन ही उनका एक मात्र धर्म है। अधिकारियों में संवेदनहीनता तथा कर्त्तव्यहीनता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। हमारी सरकार नेक–नीयत से कार्य करने वाले अधिकारियों को पूर्ण सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करेगी, परन्तु बदनीयती को स्वीकार नहीं करेगी। हमारी सरकार का यह निश्चित मत है कि प्रदेश की अधिकांश समस्याओं का निराकरण अच्छे प्रबन्धन एवं उच्च स्तरीय प्रशासन के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए किसी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता नहीं है।

14. हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि प्रशासन संवेदनशील एवं जन समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर और परिणामपरक हो – चाहे वह प्रमण्डल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो अथवा उससे भी नीचे प्रखण्ड स्तर पर हो। प्रशासन तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से यह अपेक्षा होगी कि वे जनता की समस्याओं को सुलझाने हेतु निरन्तर उपलब्ध रहें। सम्पूर्ण प्रशासन तंत्र में हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जायेगी एवं अधिकारियों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जायेगा कि उन्होंने जनता की समस्या के निराकरण की दिशा में क्या तत्परता एवं संवेदनशीलता दिखायी।

15. लोकतंत्र के सुचारू व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि जनता को अपने शासन तंत्र की सही जानकारी हो। हमारी सरकार का यह निश्चित मत है कि शासन में जितनी अधिक पारदर्शिता लायी जायेगी हम उतना ही भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के अपने लक्ष्य के करीब पहुँचेंगे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और भ्रष्ट गतिविधियों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करेगी। विभिन्न स्तरों पर कार्य प्रणाली को सरल बनाया जायेगा, ताकि प्रशासन और शासन आम जनता के आसान पहुँच में हो।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं की काफी कमी है। अधिकांश गाँव अभी भी पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं। बरसात के दिनों में ऐसे गाँवों से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। हमारी सरकार द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र सड़क निर्माण कर देने से ही सभी गाँवों एवं टोलों की सम्पर्कता पूरी नहीं होगी, जब तक कि रास्ते में पड़ने वाले नदी–नालों को पुल–पुलियों से नहीं जोड़ा जाय। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अन्तर्गत नदियों के ऊपर पुल बनाकर गाँवों को जोड़ा जा रहा है, जिससे आवागमन में सुविधा उपलब्ध होने लगी है। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 366 मध्यम एवं बड़े पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 162 पुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है और वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 59 नये पुलों के निर्माण की योजना है।

17. गाँवों के समेकित विकास के बिना जन आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो सकतीं। राज्य सरकार "अपना गाँव अपना राज" की विचारधारा पर लोगों को सशक्त करना एवं उनकी सहभागिता प्राप्त करना चाहती है। प्रत्येक ग्राम में

विकास समितियाँ बनाकर उन्हें "ग्राम स्वराज योजना" के अन्तर्गत एक लाख रु. तक की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। वे अपने स्तर से योजना–सूत्रण करके आर्थिक उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाएँ यथा – पेयजल, लघु सिंचाई, सम्पर्क पथ, स्वच्छता आदि योजनाओं का कार्यान्वयन कर सकेंगे।

18. गाँवों एवं ग्रामीणों के चहुँमुखी विकास के लिए सरकार कृतसंकल्प है। गाँवों में आधारभूत संरचनाओं के विस्तार एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे मजदूरी परक रोजगार योजनाएँ एवं स्वरोजगार योजनाएँ चलायी जा रही हैं जिनका मूल उद्देश्य ग्रामीणों की आय में वृद्धि कर उनके जीवनस्तर सुधारने एवं आवास सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

19. रोजगारमूलक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्ट्रीम–1 एवं स्ट्रीम–2 के अन्तर्गत फरवरी, 2005 तक लगभग 322.00 करोड़ रुपये व्यय कर 2.60 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया गया है। इसके अन्तर्गत मजदूरी के रूप में नगद राशि के अतिरिक्त खाद्यान्न भी दिये जाने का प्रावधान है।

20. राज्य में इन्दिरा आवास योजना के तहत् लगभग 123 करोड़ रुपये राशि का व्यय कर 31,371 आवासों का नव निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जा चुका है तथा लगभग 12,052 आवासों का निर्माण/उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

21. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में लगभग 27,165 व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 3,934 स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया गया है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि अगले वर्ष में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार लाकर रोजगार की संभावनाओं में विस्तार लाया जाय।

22. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्कता प्रदान करने हेतु ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कुल स्वीकृत लगभग 2,746 कि॰मी॰ लम्बाई की पथ सम्बन्धी योजनाओं में से लगभग 1,438 कि॰मी॰ पथ के निर्माण सम्बन्धी योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सम्पोषित योजना से भी फरवरी 2005 तक 936 ग्रामीण पथों के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी हैं, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 6,224 कि॰मी॰ है, जिनमें से 370 पथ योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

23. काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के 14 सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान की गयी है। इस कार्यक्रम के द्वारा जिलों में अपेक्षित अतिरिक्त निवेश करते हुए मजदूरी के अवसर प्रदान कर सरप्लस लेबर के माध्यम से उत्पादक परिसम्पत्ति का सृजन किया जाना है, जिससे ग्रामीणों के लिए जीवन–यापन के अवसर सृजित हो सके। इस योजना के अन्तर्गत फरवरी 2005 तक 3,113 योजनाओं का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

24. आप सब जानते ही हैं कि झारखण्ड की अधिकांश जनता आज भी गाँवों में रहती है और मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तेजी लायी जाय, जिससे प्रदेश के विकास दर में वृद्धि हो और साथ ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार हो। इसके लिए ग्रामीण अवस्थापना का विकास करेंगे। राज्य को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्त्तमान उपज उत्पादकता को बढ़ाकर दो गुणा करना होगा। विभिन्न फसलों के लिए प्रमाणित बीज की आपूर्ति तथा कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी का प्रचार–प्रसार के माध्यम से राज्य में खरीफ़ तथा रबी मौसम के फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने का विभिन्न कार्यक्रम बनाया गया है।

25. विगत वर्ष में कृषि विभाग द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत बीज विनियम कार्यक्रम में 9,257 क्विंटल धान तथा 80 प्रतिशत अनुदान पर 510 क्विंटल मकई, 463 क्विंटल आखर, 291 क्विंटल उरद प्रमाणित बीज लघु एवं सीमान्त कृषकों को वितरण किया गया। राज्य में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने हेतु अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक समूहों को राज्य के सभी जिलों में अनुदानित दर पर पावर टीलर वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

26. राज्य की जलवायु उद्यानिक फसलों के उत्पादन के लिए सर्वथा अनुकूल है। राज्य सरकार की नीति है कि राज्य में उद्यान फसलों के उत्पादन की सम्भावनाओं का पूर्ण दोहन किया जाए। इस हेतु फूलों की व्यवसायिक खेती का विकास, सब्जी उत्पादन के प्रोत्साहन, फलों के समेकित विकास, राज्य में उपलब्ध उपरांहें भूमि पर समेकित उद्यान विकास, कंद फसलों के विकास,

सब्जी बीज उत्पादन के प्रोत्साहन के साथ–साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की विस्तृत योजनाएँ कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित है।

27. राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय बागवानी मिशन को विस्तृत आधार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार भी कृत संकल्प है।

28. राज्य में कृषकों को अपने सब्जी उत्पाद हेतु बेहतर विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के एग्री एक्सपोर्ट जोन को क्रियाशील बनाने की योजना बनाई गयी है, जिसके अन्तर्गत राज्य में कृषकों के उद्यानिक उत्पादों के विपणन की बेहतर आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध हो सकेगी।

29. राज्य की कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित है। भरपूर वर्षा के होते हुए भी इसके असामान्य वितरण के कारण वर्षाजल का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। साथ ही भू–क्षरण भी एक गम्भीर समस्या है।

30. कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे भू–जल संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षाश्रित क्षेत्रों में मृदा जल संरक्षण का कार्य किया जायेगा एवं बड़ी संख्या में कृषकों को अपने खेतों पर ही जल संरक्षण एवं वर्षाश्रित कृषि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

31. वर्षा आधारित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल छाजन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 181 अनुजल छाजन क्षेत्रों में कृषकों की सहभागिता से भू एवं जल संरक्षण एवं कृषि की उन्नत तकनीकी के प्रयोग से कृषि क्षेत्र के विकास की योजना अपने तृतीय चरण में प्रवेश करेगी।

32. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का एक मात्र विश्वविद्यालय है। उक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कृषि के विकास में सतत् योगदान देने एवं कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता सम्पन्न मानव संसाधन विकास हेतु राज्य सरकार, विश्वविद्यालय को वित्तीय सहयोग प्रदान करती रही है।

33. राज्य में सुदूर संथाल परगना क्षेत्र में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई के रूप में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है, जो आधुनिक कृषि प्रौद्योगिक की संथाल परगना के कृषकों को स्थानान्तरित करने में सहायक होगा। साथ ही राज्य में एक **"दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय"** एवं **"पशुधन एवं मत्स्य अनुसंधान संस्थान"** की स्थापना की योजनाएँ भी प्रस्तावित हैं।

34. राज्य में कृषि के सतत् विकास एवं इस हेतु नीति निर्धारण करने के उद्देश्य से झारखण्ड कृषि शोध एवं सुधार आयोग को क्रियाशील करने की योजना भी प्रस्तावित है।

35. जल ही जीवन है। राज्य में दिन–प्रतिदिन गिरते भूगर्भ जलस्तर, वर्षा की कमी इत्यादि के कारण जलापूर्ति राज्य की एक प्रमुख समस्या है। इस विकट समस्या के त्वरित समाधान के लिए हमारी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। वर्षा के जल का हारवेस्टिंग कर जल संरक्षण संरचना के निर्माण द्वारा जल स्तर का सम्वर्द्धन एवं पेयजल की आधारभूत सुविधा जल समुदाय को उपलब्ध कराने के लिए गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। राँची शहर अन्तर्गत जलापूर्ति कार्यक्रम सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी योजनाएँ आरम्भ की गयी हैं। रुक्का से बूटी तक 38 व्यास के एम॰एस॰पाईप बिछाने का कार्य सम्पन्न हो चुका है। राँची के पिस्का मोड़,

चर्च रोड एवं हिन्दपीढ़ी जलापूर्ति उन्नयन कार्य हेतु जलमीनार निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्यवन के क्षेत्र में हजारीबाग, मेदनीनगर, जसीडीह के साथ–साथ खूँटी, मधुपुर, गुमला आदि शहरों के लिए वृहत जलापूर्ति योजना का प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत शहरी जलापूर्ति योजना में कुल 49.00 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत लगभग 750.00 लाख रू. के वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध प्रत्येक पंचायत में दो नलकूप का निर्माण योजना के तहत् 6,654 ड्रील्ड नलकूप का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत जल के विखरित स्रोतों का निर्माण, पुनर्स्थापन, स्रोत एवं प्रणाली का स्थायीकरण इत्यादि लक्ष्यों के पूर्ति हेतु 85.00 करोड़ रु॰ की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में लोक जल समृद्धि योजना चालू की गयी है जिसके तहत् प्रत्येक विधान सभा सदस्य को 50.00 लाख रु॰ प्रतिवर्ष राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

36. ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन के माध्यम से पर्याप्त स्वरोजगार के अवसर सृजित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं न्यूनतम पौष्टिक आहार की पूर्ति करने के सम्बन्ध में व्यापक योजनाएँ चलायी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी दुग्ध उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विजन–2010 के अन्तर्गत इस राज्य को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय परिदृश्य में बराबरी का दर्जा दिलाने हेतु कार्य किये जा रहे हैं। राज्य के 12 जिलों में युवा ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को चार माह का पारावेट प्रशिक्षण दिलाकर प्रत्येक जिले में 5–5 डेयरी कैटल डेवलपमेंट केन्द्र की स्थापना करने एवं दुधारू पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा, कृत्रिम

गर्भाधान की व्यवस्था के लिए लगभग 48.00 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गयी है। इन केन्द्रों पर तकनीकी नियंत्रण हेतु मार्ग दर्शन एवं सहयोग **"बैफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन"**, उरलीकांचन, पुणे से 10 वर्षों तक सहयोग लिया जायेगा। इस योजना के लिए समुचित प्रबन्धन व्यवस्था तथा कार्य पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में डिस्ट्रीक्ट कैटल ब्रीडर्स एसोसिएशन तथा राज्य स्तर पर स्टेट डेयरी लाईभस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना का विचार किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में गव्य विकास कार्यक्रमों के सघन कार्यान्वयन का यह परिणाम रहा है कि राज्य में 70 हजार लीटर दूध प्रतिदिन की दर से उत्पादन में औसत वृद्धि हुई है। सहकारी दुग्ध उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गठित स्व–सहायता समूहों को सहकारी दुग्ध उद्योग से जोड़ने की व्यापक कार्य योजना तैयार की गयी है।

37. राज्य में मत्स्य विकास की योजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किया जा रहा है। तालाब मत्स्य का विकास, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जलाशय मत्स्य का विकास, मत्स्य कृषकों को अनुदान, मत्स्य प्रसार योजना इत्यादि ऐसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ राज्य में चलाई जा रही हैं, जिससे मछलियों के उत्पादन एवं मछुआरों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय प्रगति होगी, राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। हमारी सरकार का यह विचार है कि सभी प्रखण्डों में एक ऐसे तालाब का निर्माण किया जाय या पूर्व निर्मित तालाब को अंगीकृत कर उनसे उत्कृष्ट कोटि के मिश्रित मत्स्य बीज का उत्पादन कर उत्पादित बीज का उपयोग गाँव के सभी तालाबों में किया जाये। इन तालाबों का संधारण सरकारी/स्वयंसेवी

संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। राज्य में मिश्रित मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में असीम सम्भावनाएँ हैं। अभी मछलियों की खपत की तुलना में उत्पादन कम हो रहा है, जिस कारण अन्य राज्यों से मछली का आयात करना पड़ता है। मत्स्य उत्पादन से सम्बन्धित परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं उसका पर्यवेक्षण सुदृढ़तापूर्वक किया जा रहा है और आने वाले समय में राज्य में मत्स्य उत्पादन इतना अधिक हो सकेगा जिससे राज्य में खपत के अतिरिक्त अन्य राज्यों को भी इसका निर्यात किया जाना सम्भव हो सकेगा।

38. कृषि विकास की अनिवार्य आवश्यकता सुनिश्चित सिंचाई का प्रबन्ध है। झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुल कृषि योग्य भूमि 29.74 लाख हे॰ में से वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं द्वारा 12.765 लाख हे॰ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। राज्य के अधिकांश भूमि पठारी होने के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की झारखण्ड प्रदेश में विशेष उपयोगिता है। अब तक वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 3,25,567 हे॰ क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

39. स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 55 वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी, झारखण्ड राज्य में अभी भी ऐसे बहुत से गाँव एवं टोले हैं, जहाँ पेयजल की सुचारू व्यवस्था नहीं हो पायी है। अभी भी छोटे शहरों एवं बड़े नगरों में अबाध जलापूर्ति की समस्या बनी हुई है, इसे दूर करना होगा। हमारी सरकार ने इस समस्या को चुनौती–स्वरूप स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सरकार की प्राथमिकता होगी कि अगले वित्तीय वर्ष में अधिकांश ग्रामों एवं छोटे शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था को सुचारू बनाया जाय। इस प्रयोजनार्थ, ग्रामीण इलाकों में ट्यूबवेल तथा नलकूप गाड़ने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर

प्रारम्भ की गयी है। केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में बन्द पड़े वैसे नलकूपों, जिनकी विशेष मरम्मती कराकर जिन्हें चालू नहीं किया जा सकता है, के स्थान पर नये आधुनिक चापाकल लगाए जा रहे हैं।

40. वर्त्तमान में प्रायः सभी गाँव–टोले भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पर आच्छादित किये जा चुके हैं, जो कुछ टोले बचे हैं, उसे अगले वित्तीय वर्ष में आच्छादित कर लिया जायेगा। आने वाले वर्षों में सरकार का प्रयास सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण आबादी को पाईप जलापूर्ति द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना एवं स्वच्छता को पेयजलापूर्ति योजना से जोड़ने का इन्टीग्रेटेड एप्रोच रहेगा।

41. हमारी सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी एवं कृषि निवेशों यथा – बीज, उर्वरक, कीटनाशक रसायन, कृषि ऋण आदि की ससमय आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। इस परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं को सक्रिय किया जायेगा तथा इनके माध्यम से किसानों की पूँजी की आवश्यकताओं की ससमय सार्थक पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। इसके साथ ही ऐसे कदम उठाये जायेंगे कि यह सहकारी संस्थाएँ अपने संसाधनों को इस प्रकार से विकसित करें कि वे आत्मनिर्भर हो जायें और उनकी सरकारी अनुदान के प्रति निर्भरता में कमी आये। हमारी सरकार इन संस्थाओं की कार्यपद्धति को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रयास करेगी। लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रखने के लिए सहकारी समितियों में सरकारी हस्तक्षेप कम कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना, निर्णय लेने का शक्ति देकर आर्थिक गतिविधि एवं उत्पादकता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता रही है।

42. सहकारिता प्रक्षेत्र में स्वावलंबन को मुख्य उद्देश्य रखते हुए, तसर, लाख, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि क्षेत्रों में स्वावलम्बी सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिये गोदाम निर्माण की योजनायें प्रारम्भ है। आधारभूत संरचना एवं प्रबन्धकीय सुधार के माध्यम से सहकारिता की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के लिये कार्य किया जा रहा है।

43. प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु निजी क्षेत्र में पूँजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से हमारी सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीय तथा निजी पूँजी निवेशकों को झारखण्ड में उद्योग लगाने हेतु आमंत्रित किया गया और उनको आश्वस्त किया गया है कि उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके लिए हर स्तर पर एक विश्वसनीय निवेशपरक वातावरण बनाया गया, जिससे निवेशक प्रदेश की ओर आकर्षित हुए। करों से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल बनाया गया, साथ ही उद्यमियों के लिए आधारभूत अवस्थापना सुविधाएँ जैसे – बिजली, सड़क तथा भूमि भी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार इस कार्य हेतु प्रतिबद्ध है कि वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुविधाजनक एवं सरल बनाया जाय और एक ऐसा वातावरण बनाया जाय कि देश–विदेश से उद्यमी और पूँजी निवेशक प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित हों। इन सब के पीछे हमारा मार्गदर्शक सिद्धान्त यह है कि झारखण्ड में उद्यमियों को झंझटमुक्त एवं मित्रतापूर्ण वातावरण मिल सके।

44. हमारी सरकार की विवेकशील नीति का ही यह प्रतिफल रहा है कि राज्य सृजन के उपरांत औद्योगिक नीति के प्रावधानों से आकर्षित होकर मेगा पूँजी निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिसमें रु॰ 4323 करोड़ का पूँजी निवेश प्रस्तावित है। पूँजी निवेश के प्राप्त प्रस्तावों में से अधिकतर प्रस्ताव आयरन एण्ड स्टील क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। अब तक कुल 24 कम्पनियों के साथ राज्य सरकार ने एम.ओ.यू. किया है, जिसमें करीब 22 हजार करोड़ रु॰ पूँजी निवेश अनुमानित है।

45. ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को प्रोत्साहन देना हमारी सरकार की नीति है। ग्रामीण शिल्पकारों तथा कारीगरों का एक बड़ा वर्ग गतिमान है जो आधुनिक उद्योगों के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो रहा है। हमारी सरकार इन शिल्पकारों के कौशल में अभिवृद्धि की योजना बनायेगी ताकि उन्हें रोजगार के लाभप्रद अवसर उपलब्ध हो सकें एवं हमारे पारम्परिक शिल्प न केवल जीवित बने रहें बल्कि देश की वर्त्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अपना योगदान दे सकें।

46. झारखण्ड राज्य के सृजन के पश्चात् खनिज विकास एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण सरकार द्वारा किया गया है, जिसके फलस्वरूप 34 खनिज आधारित उद्योग स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 18 पूँजी निवेशकों के साथ राज्य सरकार द्वारा एम॰ओ॰यू॰ हस्ताक्षरित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत लौह अयस्क उत्खनन प्लांट चाईबासा आदि जिलों में लगाये जा रहे हैं, जिसकी स्थापना हो जाने पर लाखों स्थानीय एवं ग्रामीण लोगों को नौकरी/रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा।

47. खनिज एवं इससे सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर इसका प्रचार–प्रसार किया है, जिसके फलस्वरूप लौह अयस्क एवं कोयला खनिज तथा बॉक्साईट खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित किये जाने हेतु 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक पूँजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार युरेनियम खनिज के विकास हेतु 6.50 करोड़ के पूँजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार युरेनियम खनिज के विकास हेतु 6.50 करोड़ के पूँजी निवेश के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हैं।

48. राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के साथ अबाधित विद्युत आपूर्ति करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। राज्य गठन के समय प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 160 यूनिट थी, जो बढ़कर लगभग 200 यूनिट हो गयी है। ऊर्जा खपत का यह आँकड़ा निःसंदेह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास की ओर इंगित करता है।

49. पूरे झारखण्ड राज्य में 33/11 के.वी. क्षमता के 52 पावर सब–स्टेशन एवं 1000 किलोमीटर 33 के.वी. लाईन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। 30 स्थलों पर पावर सब–स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

50. झारखण्ड राज्य के 29,336 चिरागी गाँवों में झारखण्ड गठन के समय 5,108 ग्राम ही मात्र विद्युतीकृत था। राज्य गठन के बाद दिसम्बर, 2004 तक 8,454 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। अभी 962 गाँवों का विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

51. राज्य के गरीबी एवं अभिवंचित वर्ग के महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 52 नये समेकित बाल विकास परियोजनाओं

की स्वीकृति हुई है, जिसे क्रियाशील किया जा रहा है, जिससे राज्य के सभी प्रखण्ड इस योजना से आच्छादित कर दिये जायेंगे। अब राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से राज्य के सभी गर्भवती महिलाओं को पोषाहार एवं स्वास्थ्य सेवा से लाभान्वित किया जायेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को राज्य कोष से भी मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।

52. गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली महिलाओं के लिये समेकित महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 प्रखण्डों में स्वयंसिद्धा योजना चलायी जा रही है। राज्य के विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की गयी है।

53. बालिकाओं के मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास के लिये राज्य के 66 प्रखण्डों में किशोरी शक्ति योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसमें 18 वर्ष तक की बालिकाओं को पोषाहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी देने के साथ–साथ उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। वृद्ध एवं निःसहाय व्यक्तियों के लिये इस वर्ष गिरिडीह में वृद्धाश्रम बनाये जाने की योजना है।

54. झारखण्ड सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य आदि के विकास में योजनाबद्ध तरीके से कार्यरत है तथा उनके उत्थान के लिए प्रत्यनशील है। अनुसूचित जनजातियों के रीति रिवाज, संस्कृति एवं भाषा तथा विभिन्न जातियों पर शोध कार्य करने के लिए झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान, राँची की स्थापना की गई है। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन,

पठन–पाठन, पोशाक इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। आवासीय विद्यालयों में सी॰बी॰एस॰ई॰ पाठ्यक्रम एवं सत्र लागू कर दिया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के छात्र–छात्राओं के लिए गत वर्ष 64.59 लाख रु॰ राशि की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया।

55. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों के समान ही आय उत्पादक योजना अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 1,400 युवक–युवतियों के बीच 140 बसों का वितरण किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 3.50 करोड़ रुपये विमुक्त की जा चुकी है। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कक्षा अष्टम एवं नवम् में पढ़ने वाली सभी कोटि की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल उपलब्ध कराया जाय।

56. लोक कल्याणकारी भावना से ओत–प्रोत हमारी सरकार राज्य के असहाय वृद्ध, विधवा, विकलांग एवं बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना इत्यादि कार्यक्रम चला रही है। इस वर्ष सरकार द्वारा राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत भुगतान की जा रही 100/– रु॰ की दर के पेंशन की राशि को बढ़ाकर 200/– रु॰ कर दिया गया है और पेंशनधारियों की संख्या में एक लाख अतिरिक्त लाभुकों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।

57. हमारी सरकार का उद्देश्य समाज के निचले स्तर तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें

न्याय दिलाना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् बाजार में उपलब्ध सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए सामानों की कालाबाजारी को रोकना है। राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल. योजना में सम्मिलित कुल 16,67,200 परिवारों को अंत्योदय योजना के दर पर अर्थात् 3/–रु॰ प्रति कि॰ग्रा॰ की दर से चावल दिसम्बर, 2004 से उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से राज्य के सभी बी.पी.एल. एवं अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह प्रत्येक परिवार 2 कि॰ग्रा॰ आयोडीन युक्त नमक, 25 पैसे प्रति कि॰ग्रा॰ की दर से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है और एक लाख अंत्योदय परिवारों को मुफ्त एल.पी.जी. गैस चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की गयी है।

58. हमारी सरकार का यह मानना है कि राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाना परम आवश्यक है। आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में 1200 पथों का कालीकरण एवं 26 पुल योजनाओं का निर्माण सम्पन्न कराया गया है। लगभग 670 सौ करोड़ की लागत से 1900 कि॰मी॰ पथ एवं 25 अदद् पुल की योजनाएँ चालू हैं। राज्य में 14 आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण रेल मंत्रालय द्वारा किया जाना है जिसमें से 7 आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। योजना की कुल लागत 163.02 करोड़, जिसमें राज्यांश 84.2 करोड़ है जो रेल मंत्रालय को दिया जा चुका है। सभी पुल कार्यों को जून, 2005 तक पूर्ण कराने की संभावना है। सभी जिला मुख्यालयों, आर्थिक महत्व के सभी पथों, औद्योगिक, पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता जाँच हेतु बाह्य परामर्शी का सहयोग, क्वालिटी कंट्रोल, डायरेक्ट्रेट की स्थापना, निविदा कार्य दो लिफाफा पद्धति अपनाई गयी है।

59. झारखण्ड राज्य की पहचान यहाँ की खान एवं वन सम्पदा से है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.61 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र घोषित है। सरकार वनों के विकास के साथ–साथ वन क्षेत्र एवं इसके आस–पास निवास करने वाले ग्रामीणों के जीवन–स्तर में सुधार लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। सभी अवकृष्ट वनों का संधारण किया जाएगा तथा वर्ष 2010 तक वन क्षेत्र का विस्तार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

60. राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं यथा, सड़क, शुद्ध पेयजल, नाली एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। राजधानी राँची को एक आधुनिक सुविधा सम्पन्न राजधानी के रूप में विकसित करना सरकार का संकल्प है। राज्य के सभी प्रमुख शहरों के सर्वांगीण विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

61. हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि ऋण जमा अनुपात में लगातार ह्रास हुआ है। जिसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे संसाधन का लाभ हमारे प्रदेश को प्राप्त नहीं हो रहा है। यह एक विशिष्ट प्रकार का पूँजी पलायन है जिसे तत्काल रोकना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके लिए प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए तथा वृहद् परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा। हम अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे स्वरोजगार की ओर आकर्षित हों एवं इसके लिए वांछित कौशल एवं उद्यमिता का विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

62. शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप गुणात्मक परिवर्त्तन एवं सुधार करना सरकार की एक और प्राथमिकता है। सरकार का यह संकल्प है कि राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार, विस्तार एवं उन्नयन कर नई शताब्दी की चुनौतियों के अनुरूप हुनरमंद एवं स्वावलम्बी बनाने वाली शिक्षा नीति को लागू किया जाय। विगत चार वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो कदम उठाये हैं अब समाज में इसका एहसास होने लगा है।

63. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की लड़कियों के शादी के लिए पूर्व में हमारी सरकार द्वारा जो **"कन्यादान योजना"** प्रारंभ की गयी थी, उस योजना में लाभुकों की संख्या को बढ़ाकर 50,000 करने का निर्णय लिया गया है। कन्यादान योजना की सराहना समाज के प्रत्येक वर्गों द्वारा की जा रही है।

64. राज्य की जनता को सहज, सुलभ एवं विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र से लेकर चिकित्सा महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ–साथ चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति अनुबंध पर की गयी है, ताकि चिकित्सा सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो सके।

65. राज्य को **"स्वस्थ झारखण्ड–खुशहाल झारखण्ड"** बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यक्ष्मा, अंधापन, कुष्ठ रोग, मलेरिया, पोलियो एवं एड्स आदि के उन्मूलन के लिए व्यापक रूप से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वस्तुतः हमारी सरकार की यह

भावना है कि हम स्वास्थ्य सेवा को अपनी जनता के द्वार तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से 7 दिसम्बर, 30 दिसम्बर, 2005 तक "कैच–अप राउंड" कार्यक्रम के तहत् गाँव–गाँव जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यक दवा का खुराक एवं गर्भवती महिलाओं तथा धातृमाताओं को विटामिन, आयरन आदि की दवाएँ मुफ्त दी गयीं। साथ ही मलेरिया एवं यक्ष्मा रोग की पहचान हेतु आवश्यक संरक्षण रक्त पट का संग्रह एवं जाँच कर रोगियों की पहचान की गयी और उनका आवश्यक उपचार किया गया। हमारी सरकार द्वारा इस कल्याणकारी योजना को आगे भी जारी रखा जायेगा। कैच–अप राउंड कार्यक्रम से अब तक करीब 22 लाख बच्चों एवं 10 लाख गर्भवती महिलाओं को यूनिसेफ, यू॰एस॰ ऐड एवं मोस्ट जैसी संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से लाभ पहुँचाया गया है।

66. राँची स्थित **"रिम्स"** में 12 विभिन्न चिकित्सा विभागों में सुपर स्पेशिलिटी सुविधा का सृजन किया जा रहा है। साथ ही रिम्स को उत्क्रमित करते हुए **"एम्स"** के क्षेत्रीय संस्थान के रूप में चिह्नित भी किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि रिम्स के अन्तर्वासी मरीजों के भोजन इत्यादि के लिए हमारी सरकार द्वारा पूर्व के निर्धारित दरों में वृद्धि करते हुए 15/–रु॰ प्रति मरीज के दर को दोगुना कर 30/–रु॰ प्रति मरीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य में अवस्थित सदर अस्पतालों को 100 शैय्या वाले अस्पतालों में उत्क्रमित किये जाने की योजना है। राज्य में देशी चिकित्सा के विकास की प्रचुर सम्भावनाओं को देखते हुए इस पद्धति के सर्वांगीण विकास के लिए हारवेरियम की स्थापना की योजना का चयन किया गया है ताकि राज्य

में पाये जाने वाले वनौषधि पौधों को विकसित कर एवं अंगीकृत कर इस पद्धति को समुन्नत किया जा सके।

67. राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले असहाय लोगों के असाध्य रोगों जैसे – कैंसर, हृदय रोग, एड्स आदि की चिकित्सा हेतु 18.00 करोड़ रु॰ की लागत से राज्य बीमारी इलाज प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है। इस राशि से प्रभावित व्यक्तियों को अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सहायता की जाती है। अभी तक इस योजना से 1,956 व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया है।

68. हमारी सरकार द्वारा पुरान/तांति, कादर, नोनियाँ, कोरांग, नमःशुद्र, चन्द्रवंशी (कहार), माल (मल्ल क्षेत्रीय) जाति को अनुसूचित जाति में एवं खंगार बियार कोल्ह (तेली), खेतौरी, कुरमी/कुड़मी (महतो), घटवाल एवं रौतिया जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा की गयी है। साथ ही पिछड़ा वर्ग के अनुसूची–1 में जैट, बागती (बागची), कुनाई, पुष्पनामित, झोरा एवं अनुसूची–2 में शामिल सदगोप, बैरागी (वैष्णव), पाईक एवं लक्ष्मी नारायण गोला जातियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

69. राज्य के विकास के लिए आधारभूत संरचना में वित्तीय संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य में मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मनोरंजन कर की पूर्व दर 110 प्रतिशत को हटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य में ए॰टी॰एफ॰ पर कर की दर 25 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। खुदरा व्यवसायी एवं छोटे कर–दाताओं को राहत देने हेतु

बिक्रीकर निबंधन के सकल आवर्त्त की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर सात लाख कर दी गयी है। मोटे अनाज यथा, कोदो, कुटकी, गोंदली, मटर, मकई, ज्वार, बाजरा, सभी अनाजों के लावा धान को करमुक्त कर दिया गया है। राज्य में दिनांक 21.7.2004 के प्रभाव से अतिरिक्त कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। हमारी सरकार द्वारा सरचार्ज की सकल आवर्त्त की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गयी है। अर्थात् 10 लाख वार्षिक सकल आवर्त्त वाले व्यवसायियों को अधिभार की देयता से विमुक्ति प्रदान कर दी गयी है।

70. भारत सरकार के बारहवें वित्त आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए 3.361 प्रतिशत राशि **"कर–विभाजन"** पुल से उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 5 वर्षों के लिए अनुदान स्वरूप 651.73 करोड़, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए 360.98 करोड़, पथ एवं पुलों के अनुरक्षण एवं मरम्मति के लिए 117.68 करोड़, सरकारी भवनों के संधारण हेतु 159.61 करोड़, वनों के संधारण हेतु 30.00 करोड़, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण हेतु 10.00 करोड़ एवं विशेष कार्य यथा, राँची में नये राजधानी क्षेत्र के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गयी है।

71. सांस्कृतिक उन्नयन के दृष्टिकोण से राज्य में 9वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन विगत वर्ष सफलतापूर्वक किया गया है। इस भव्य समारोह के शानदार आयोजन से हमारा राज्य गौरवान्वित हुआ है। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखण्ड राज्य में होने जा रहा है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। इस राष्ट्रीय खेल आयोजन के मद्दे नजर आगामी वर्ष को राज्य के लिए खेल संस्कृति संरचना निर्माण वर्ष के रूप में जाना जायेगा।

72. अन्त में मैं अपना अभिभाषण समाप्त करने से पहले आप सब का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस देश में लोकतंत्र का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इस गरिमामयी सदन के भीतर और बाहर माननीय सदस्यगण का आचरण कैसा है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे और आपके विचार–विमर्श में सदैव निःस्वार्थ सेवा, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं जनता का हित ही प्रमुख होगा। आईए हम सब मिलकर एक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखण्ड राज्य के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हों।

जय हिन्द !